(213)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर

सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0) R. 5363-दो/16

20रु. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
5रु. COURT FEE Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES विलोपित / विलोपित
5रु. COURT FEE Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES विलोपित / विलोपित

विद्याधर शर्मा तनय स्व0 श्री शिवनाथ प्रसाद शर्मा, उम्र 77 वर्ष, पेशा–खेती व पेंशनर, निवासी–ग्राम इटौरा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0) ....**आवेदक**

बनाम

आवेदक अभिभाषक श्री रामभद्र पाण्डेय द्वारा पेश/ 8.8.16
8.8.16

1– भगवानदीन शर्मा तनय स्व0 श्री शिवनाथ प्रसाद शर्मा, उम्र 70 वर्ष, पेशा–खेती, निवासी–ग्राम इटौरा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

2– विद्यासागर शर्मा तनय स्व0 श्री शिवनाथ प्रसाद शर्मा, उम्र 80 वर्ष, पेशा–खेती व पेंशनर, निवासी–ग्राम इटौरा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

3– शासन म0प्र0 द्वारा जिलाध्यक्ष रीवा

....................**अनावेदकगण**

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार, तहसील हुजूर, जिला रीवा के राजस्व प्रकरण क्र0–79/अ74/2006–07 पारित आदेश दिनांक 15/06/2015।

निगरानी अन्तर्गत धारा 250 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0।

मान्यवर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है:–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि एवं प्रक्रिया विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(213)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R–5362-II / 16 जिला–रीवा।

विद्याधर शर्मा / भगवानदीन शर्मा वगैरः

(1)	(2)	(3)
19-12-18 –	1. आवेदक की ओर से श्री मनीष मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील हुजूर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 79/अ–74/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 15.06.15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 15.03.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	